

अदालत उपरवट अदालत मुकाम सोजत
मोंगीलाल बनाम खीम सिंह वर्मा
 त मुकदमा वा.ग.व. वट नं. 142 सन् 2011

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 53 RTA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2-9-17	<p>क्षीमान राजस्थान अपील अधिकारी, पाली ने अपने फांकोक: २०१५ अ/१८९२ दिनांक: ३०-८-१७ द्वारा रा.व. सं. 142/2011 व 64/2012 मोंगीलाल बनाम खीम सिंह तथा उच्च न्यायालय बनाम इंदराम निर्णय दिनांक: 19-5-17 की मूल पत्रावलीयों - चाही गई थीं कल: इतर दोनो पत्रावलीयों सम्बन्धित इतर न्यायालय के रिजर्वाइर जालर सरकार के रेकॉर्ड पर रखा जावे। सरकार दिनांक: 8-11-2017 को पेज ही</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उप सप्ट अधिकारी, सोजत</p>	
8-11-2017	<p>न्यायालय उपस्थित।</p> <p>माननीय राजस्थान अपील अधिकारी महोदय पाली के फांकोक: २०१५ अ/१८९२ दिनांक: ३०-८-२०१७ द्वारा रा.व. सं. 142/11 व 64/2012 मोंगीलाल बनाम खीम सिंह तथा उच्च न्यायालय बनाम इंदराम निर्णय दिनांक: 19-5-2017 की मूल पत्रावलीयों - चाही गई थी, जो इस न्यायालय के फांकोक: कोर्ट/2017/960 दिनांक: 4-10-2017 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्थान अपील अधिकारी, पाली को उपस्थित की जा चुकी है। कल: मूल पत्रावली, माननीय न्यायालय राजस्थान अपील अधिकारी पाली में विचारार्थ होने से इस न्यायालय में पत्रावली के अभाव में कोई कार्यवाही किया जाता उपस्थित नहीं रहता है। कल: पत्रावली नम्बर: सं. कम: ही। माननीय न्यायालय रा. अपील अधिकारी, पाली से निर्णय होकर फांकोक प्राप्त होने पर फांकोक को पुनः ई-ई की जालर अग्रिम कार्यवाही निर्णय माफिक की जावे। इतर माफिक के अतिवृत्तासो को अग्रिम किया जावे।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> उप सप्ट अधिकारी, सोजत</p>	